सं0-103/2015/1547/62-2-2015-2/3(20)/2015

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 11 सितम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन नई योजना जल स्रोतों का संबर्द्धन (नाबार्ड पोषित) योजना के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-105/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0 एफ0/2015-16, दिनांक 09-04-2015 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या&13 के अधीन नई योजना जल स्रोतों का संबर्द्धन (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि `&1313.67 लाख के सापेक्ष धनराशि `&525.47 लाख (रू0-पॉच करोड पच्चीस लाख सैतालिस हजार मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की नई योजना जल स्रोतों का संबर्द्धन (नाबार्ड पोषित) पर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाय तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश सं0-1646/62-2-2015-2/2(18)/2004 टी0सी0-19, दिनांक 03-8-2015 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्यो के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-10-जल स्रोतों का संबर्द्धन (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के अ0शा0 संख्या&ई-2-870, दिनांक 10-9-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-103/2015/1547(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।